निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर मैट्रिकोत्तर छात्रृति कैलेण्डर					
क्र. सं.	नाम छात्रवृत्ति	पात्रता	आय सीमा	छात्रवृत्ति दर प्रति माह	
				छात्रावासी	अछात्रावासी
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या विश्वविद्यालय में योग्यता सूची में आने पर तथा अन्य छात्रवृत्ति धारक न होने पर। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	मातापिता की कुल वार्षिक आय 25 हजार रु. से अधिकन हो (स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु आय सीमा नहीं)	100/– 100/– 300/–	60/– (पार्ट–I) 90/– (पार्ट–II,III) 120/– (स्नातकोत्तर)
2.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी/उपाध्याय या किसी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता पिता की कुल वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक न हो।	100/– 100/– 120/– 300/–	 60/– (पार्ट–I) 60/– (पार्ट–I, II) 120/– (स्नातकोत्तर)
3.	अध्यापकों के बच्चों को देय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	सैकेण्डरी या सीनियर सैकण्डरी की परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण एवं निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा चयनित। नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्राप्तांक पर।	माता पिता की कुल वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक न हो।	100/– 120/– 300/–	60/– (पार्ट–I) 60/– (पार्ट–I, II) 120/– (स्नातकोत्तर)
4.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	सी. सैकण्डरी अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।	अभिभावकों की वार्षि आय 1 लाख रूपये तक	100/– 120/– 300/–	60/– (पार्ट–I) 60/– (पार्ट–I, II) 120/– (स्नातकोत्तर)
5.	स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों एवं पोते/पोतियों के अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर देय।	नियमानुसार	100/–	60/–
6.	मृतक राज्य कर्मचारी के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृत कर्मचारी के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए	कोई सीमा नहीं	&& &&	50/– स्नातक स्तर 75/– स्नातकोत्तर स्तर
7.	भारत पाक एवं चीन युद्ध एवं मृत सैनिकों के बच्चों/विधवाओंकी छात्रवृत्ति	इस युद्ध में मृतक या अपंग सैनिकों के बच्चो एवं विधवाओं को जो महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत है।	नियमानुसार	100/–	60/–
8.	ललित कला छात्रवृत्ति	राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर से मध्यम/विशारदा में 60 प्रतिशत या अधिक अंकोंसे उत्तीर्ण होकर विशारद/निपुण में प्रवेश लेने पर।	आयकरदाता नहीं हो	100/–	60/–
9.	ललित कला	राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस से फाउण्डेशन कोर्स 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर।	आयकरदाता नहीं हो	100/–	60/–
10.	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर।	आयकरदाता नहीं हो	100/–	60/–

छात्रवृत्तियाँ

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ

(अ) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति और पिछड़ी जातियों के छात्र/छात्राओं को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है।

(1) पात्रता

(क) केवल वे ही छात्र, जो राजस्थान के अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्धित हों।

(ख) शिक्षा का एक–चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय/संकाय में अध्ययन करने लगे, जैसे बी.ए. के बाद बी. एस.सी. इसके पात्र नहीं होंगे।

(ग) नियोजित छात्र, जिन्होने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हो, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

(घ) अनु. जाति एवं अनु. जन जाति के एक ही माता–पिता/अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

(ड़) अन्य पिछड़ी जाति के एक ही माता–पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

(च) कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं दी जाती हो अर्थात एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति देय है।

(छ) अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए देय नहीं।

(2) आय जाँच

(क) यह छात्रवृत्ति अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता/ अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय क्रमशः 250000/– रू. से अधिक नहीं है।

(ख) यह छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ी जाति के उन छात्र/छात्राओं को देय है जिनके माता–पिता/ अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 100000/–रू. से अधिक नहीं है।

(ग) विशेष पिछड़ा वर्ग (बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लौहार, गोडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी (देवासी) के विद्यार्थियों के लिए देवनारायण योजनान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु माता–पिताअभिभावक की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 2.00 लाख रू. से अधिक नहीं है।

नोट: आय प्रमाण–पत्र केवल एक बार लिये जाने की आवश्यकता है अतः एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिल के समय।

(3) **फीस:** छात्रा द्वारा संस्था/विश्वविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा किन्तु इसमें कॉशन मनी सम्मिलित नहीं होगी।

(4) **भुगतान:** छात्रा का चयन आय जाँच के आधार पर किया जायेगा। इसके बाद प्राचार्य द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे। छात्रवृत्ति का भुगतान अप्रेल या दाखिले के माह से (20 तारीख बाददाखिला होने पर अगले माह से) जो भी बाद में हों, से परीक्षा पूरी होने तक किया जायेगा।

(5) **नवीनीकरण** : अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक दी जायेगी इसके लिए छात्रों का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।

नोट: विद्यार्थी का आचरण असन्तोषजनक होने पर या झूठी घोषणा पर अथवा गलत भुगतान किये जाने पर प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है।

(6) **आवेदन:** छात्रवृत्ति का आवेदन निर्धारित प्रपत्र में देय होगा, जिसमें निम्न सूचना आवश्यक है।

(क) पासपोर्ट साईज फोटो (रंगीन)

(ख) समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक तालिका/प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ

(ग) जाति प्रमाण–पत्र (तहसीलदार स्तर से नीचे न हों)

(घ) आय घोषणा पत्र

- (1) अनु. जाति एवं जनजाति की छात्राओं को माता–पिता/अभिभावक का तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र देना होगा।
- (2) नियोजित माता–पिता/अभिभावकों को अपने नियोजकों से आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (3) अन्य पिछड़ी जाति की छात्राओं को माता–पिता/अभिभावक का तहसीलदार या उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र देना होगा।
- (ड़) फीस रसीद की फोटो कॉपी।
- (च) मूल निवास प्रमाण–पत्र की फोटों कॉपी।